विविध पत्रा. 2019/0

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

मुरलीधर व अन्य बनाम मनीराम व अन्य
वादपत्र संख्या 070/2019
**online #**
अन्तर्गत धारा 88,91,188,92ए राज. काश्तकारी अधि.

| आदेश दिनांक | आदेश अथवा कार्यवाही विवरण | आदेश क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 28.08.2019 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बलराम सुथार द्वारा वादपत्र प्रस्तुत. वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत. दर्ज पंजिका हो. प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 16 सितम्बर, 2019 को पेश हो.<br><br>[signature]<br>**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)**<br>**श्रीगंगानगर** | |
| 6-9-19 | अधिवक्तागण उप०. वादी अधि० श्री बलराम सुथार द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई. अप्रार्थी सं० 1 ता 5 की ओर से अधि० श्री उमेश कुमार द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत शामिल पत्रावली हो. वादीगण-प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा मय पहचान पत्र की स्वयं हस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई शामिल पत्रावली हो. वादीगण की पहचान अधि० श्री बलराम सुथार व प्रतिवादीगण की पहचान अधि० श्री उमेश कुमार द्वारा की गई. पक्षकारान द्वारा स्वयं द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित किये गये, अतः राजीनामा तस्दीक किया जाता है. पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी अप्रार्थी सं० 7 व जवाब राजीनामा हेतु दिनांक 16/9/19 को पेश हो.<br><br>[signature]<br>**सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर** | मुरलीधर<br>महेन्द्र [illegible]<br>Identified by me<br>Balram Suthar Adv.<br>[signature] 6.9.19<br>मनीराम<br>[signature]<br>RTI [illegible]<br>कौशल्या देवी<br>सुनीता/शीला<br>Identified by<br>Umesh Kumar Adv<br>[signature] 6.9.19 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:21:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 070 / 2019
अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. मुरलीधर पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी रोहिडावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्रपाल पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी रोहिडावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

....वादीगण

ब ना म

1. मनीराम पुत्र रामचन्द जाति सुथार निवासी रोहिडावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. भागीरथ पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी रोहिडावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. विमला पुत्री मनीराम, पत्नी ओमप्रकाश जाति सुथार निवासी 14 जी बी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. कौशल्या पुत्री मनीराम, पतनी प्रभुदयाल जाति सुथार निवासी 42 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. सुनिता रानी पुत्री मनीराम पत्नी सतपाल जाति सुथार निवासी सिरसा हरियाणा।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
7. एम जी बी ग्रामीण बैंक शाखा कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये प्रबंन्धक।

...प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थित– | श्री बलराम सुथार | (वादीगण) |
| | श्री उमेश कुमार | (प्रतिवादी 01–05) |
| | श्री राज पैरोकार | (प्रतिवादी 06) |

दिनांक 26.05.2025

## –निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार यह कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण का पिता है, ्रतिवादी संख्या 02 वादीगण का भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 वादीगण की सगी ़हने है। प्रतिवादी संख्या 01 के पिता स्व0 रामचन्द पुत्र आसाराम व प्रतिवादी संख्या 01 के ाईयों रामप्रताप, सम्पत, दलीप का संयुक्त हिन्दु परिवार था तथा रामचंद के नाम अन्य सम्पति के अलावा चक 2 पी बडी के खाता सं0 49/42, मु0 न0 55,56,58 की कुल 5.719 हैक्टे0 कृषि भूमि खातेदारी दर्ज थी, रामचन्द्र के जीवनकाल में उसके व उसके पुत्रों के बीच पारिवारिक समझौता हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्सा में जो सम्पति आयी, उसमें मु0 न0 55 के 1.366 हैक्टे0 व खाता सं0 35/36, मु0 न0 10 के किला न0 11 ता 19 की 2.252 हे0 कृषि भूमि व अन्य सम्पति हिस्सा में आयी। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने हिस्सा में आने वाली सम्पति में से चक 2 पी बडी के खाता सं0 49/42 [illegible] मु0 न0 [illegible] के किला न0 2, 9, 12, 19, 22 सालम सालम व किला न0 23 का 0.126 हैक्टे0 कुल [illegible] हैक्टे0 अर्थात् बीघा 10 बिस्वा स्वेच्छा से प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्सा में आयी सम्पति जो [illegible] व प्रतिवादी सं0 01 ता 05 के संयुक्त हिन्दु परिवार की थी वह प्रतिवादी संख्या 0[illegible] के नाम जरिये उपहार–पत्र वादी के दादा से प्रतिवादी संख्या 02 के नाम लगवायी गई, जिसका इंतकाल सं0 288/20.06.11 दर्ज हुआ। चक 2 पी बडी के खाता सं0 35/35, मु0 नं0 10 के किला न0 11 ता 19 की 2.252 हैक्टे0 जो प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 02 को वादीगण के दादा से उपरोक्त भूमि दिलाने के कारण उसकी हकरसी हो गई। अतः उपरोक्त भूमि 2.252 हैक्टे0 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ता 05 की संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि बनी। प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 की शादीयां उपरोक्त जद्दी जायदाद की आय से करने के कारण व प्रतिवादी संख्या 02 को सीधे दादा से हक हिस्सा प्राप्त हो जाने से प्रतिवादी संख्या 03 ता 05

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:21:44 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अपना हिस्सा मौखिक पारिवारिक समझौता द्वारा वादीगण के हक में छोड़ दिया तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने भी अन्य जद्दी जायदाद प्राप्त हो जाने के कारण इसी पारिवारिक समझौता में उपरोक्त भूमि 2.252 हैक्टे0 वादीगण को वहिस्सा बरावर उनका जद्दी जायदाद में हक हिस्सा होने के कारण दे दी गई। इस प्रकार उपरोक्त भूमि के वहिस्सा बरावर के खातेदार काश्तकार व हकदार है तथा काबिज चले आ रहे हैं। अब प्रतिवादी संख्या 01 के मन में गलत लालच आ गया है तथा चक 2 पी बडी के खाता सं0 35/35, मु0 न0 10 की किला न0 11 ता 19 की 2.252 हैक्टे0, प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 01 मुंतकिल करने के प्रयास में है, यदि वह इसमें सफल हो गया तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, उनको जबरन बेदखल किया जावेगा तथा वह अपने हक हिस्सा से वंचित होगें, अतः दावा हाजा लाना तथा उपरोक्त भूमि को अपनी खातेदारी घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 से बार–बार आग्रह किया कि वह चक 2 पी बडी के खाता सं0 35/35, मु0 न0 10 की 2.252 हैक्टे0 का वादीगण को खातेदार, काश्तकार हकदार मानकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये तथा प्रतिवादी संख्या 01 उपरोक्त भूमि को किसी को रहन बैय मुंतकिल करने, स्वयं अथवा अन्य किसी सहायता से वादीगण को जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे मगर वह लालचवश होने से टालमटोल करते हुए दिनांक 08.08.19 को साफ इंकारी है, जो कि यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। अतः वाद वादीगण काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित न्यायशुल्क पर पेश है। प्रतिवादी संख्या 06 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है। इसलिए पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 संयुक्त हिन्दु परिवार की सदस्य रही होने से व पारिवारिक समझौता द्वारा हक हिस्सा छोडने के कारण उनको पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा दावा वादीगण पेश करके अर्ज है कि दावा वादीगण, बहक वादीगण, खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावें– (क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावें कि चक 2 पी बडी, पटवार हल्का रोहिडावाली तहसील श्री गंगानगर के खाता सं0 35/35, मु0 न0 10 के किला न0 11 ता 19 की 2.252 हैक्टे0 को वाद–पत्र में अंकित कारणों से वादीगण की खातेदारी घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दोनों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करने, लगान मामला कायम करने का आदेश फरमाया जावें। (ख) डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावें कि चक 2 पी बडी, पटवार हल्का रोहिडावाली तहसील श्री गंगानगर के खाता सं0 35/35, मु0 न0 10 के किला न0 11 ता 19 की 2.252 हे0 को प्रतिवादी संख्या 01 किसी को रहन वैय मुंतकिल करने, वादीगण को स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे। (ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावें। (घ) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावें ।

दिनांक 06.09.2019 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा मय शपथ पत्र एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई वादी की शिनाख्त वादी अधिवक्ता श्री बलराम सुथार एंव प्रतिवादीगण की शिनाख्त प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री उमेश कुमार द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यो के अनुसार प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री ... प्रतिवादी संख्या 01 के पिता के नाम चक 2 पी बडी के खाता सं0 49/42, मु0 न0 55, 56, 58 की कुल 5.719 हैक्टे0 कृषि भूमि खातेदारी दर्ज थी, जिनके जीवनकाल में उसके व उसके पुत्रों के बीच पारिवारिक समझौता हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्सा में जो सम्पति आयी, उसमें मु0 न0 55 के 1.366 हैक्टे0 व खाता सं0 35/35, मु0 न0 10 के किला न0 11 ता 19 की 2.252 हैक्टे0 कृषि भूमि व अन्य सम्पति हिस्सा में आयी। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने हिस्सा में आने वाली सम्पति में से चक 2 पी बडी के खाता सं0 49/42 के मु0 न0 55 के किला न0 2, 9, 12, 19, 22 सालम सालम व किला न0 23 का 0.126 हे0 कुल 1366 हैक्टे0 अर्थात् 5 बीघा 10 बिस्वा स्वेच्छा से प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्सा में आयी सम्पति जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के संयुक्त हिन्दु परिवार की थी वह प्रतिवादी संख्या 02 के नाम जरिये उपहार–पत्र वादी के दादा से प्रतिवादी संख्या 02 के नाम लगवायी गई, जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:21:44 IST
Reason: SelfAttested

इंतकाल सं0 288/20.06.11 दर्ज हुआ, इस प्रकार वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से खाता सं0 35/35, मु0 न0 10 के किला न0 11 ता 19 की 2.252 है0 खातेदारी दर्ज है की आय से प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 के विवाह किये गये। अतः उन्होने मौखिक पारिवारिक समझौता द्वारा अपना एक हिस्सा वादीगण के हक में छोड दिया तथा इसी पारिवारिक समझौता द्वारा उपरोक्त भूमि 2.252 हैक्टे0 वादीगण के हिस्सा व कब्जा में बहिस्सा बराबर आयी हुई है, जिसको प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है, अतः उपरोक्त भूमि का बहिस्सा बराबर घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज की जावें, जिसमें प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है बल्कि वह सहमत है। लिहाजा यह राजीनामा पेश है कि राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री कर चक 2 पी बडी के खाता सं0 35/35, मु0 न0 10 के किला न0 11 ता 19 की 2.252 हैक्टे0 वादीगण के नाम बहिस्सा खातेदारी घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में मामला दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

दिनांक 24.12.2019 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 2 पी वड़ी पटवार हल्का रोहिड़ावली, भू0. अभि0 नि0 क्षेत्र हिन्दूमलकोट, तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068 – 2071 एवं चक 2 पी वड़ी पटवार हल्का रोहिड़ावली, भू0. अभि0 नि0 क्षेत्र हिन्दूमलकोट, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का इंतकाल सं0 288/20.06.11 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है, इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा नैयायिक प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है।

## आदेश

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 01 मुरलीधर पुत्र मनीराम तथा वादी संख्या 02 महेन्द्रपाल पुत्र मनीराम को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.12.2019 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 मनीराम पुत्र रामचन्द्र के नाम चक 2 पी बडी, पटवार हल्का रोहिड़ावाली के खाता सं0 35/35, मु0 न0 10 की किला न0 11 ता 19 की 2.252 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि में से **वादी संख्या 01 मुरलीधर पुत्र मनीराम** तथा **वादी संख्या 02 महेन्द्रपाल पुत्र मनीराम** को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है।

अतः तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने व किसी प्रकार की राजस्व हानि होती है तो उसकी पूर्ति हेतु नियमानुसार स्टाम्प/पंजीयन शुल्क प्रस्तुत करने पर रिकॉर्ड में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी किस्म किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिकी जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:21:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 26.05.2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर ए एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

# डिकी
## (ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर**
**पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.**
वादपत्र संख्या 070/2019
अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. मुरलीधर पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी रोहिडावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्रपाल पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी रोहिडावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

**....वादीगण**

ब ना म

1. मनीराम पुत्र रामचन्द जाति सुथार निवासी रोहिडावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. भागीरथ पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी रोहिडावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. विमला पुत्री मनीराम, पत्नी ओमप्रकाश जाति सुथार निवासी 14 जी बी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. कौशल्या पुत्री मनीराम, पतनी प्रभुदयाल जाति सुथार निवासी 42 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. सुनिता रानी पुत्री मनीराम पत्नी सतपाल जाति सुथार निवासी सिरसा हरियाणा।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
7. एम जी बी ग्रामीण बैंक शाखा कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये प्रबंन्धक।

**...प्रतिवादीगण**

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थित– | श्री बलराम सुथार | (वादीगण) |
| | श्री उमेश कुमार | (प्रतिवादी 01–05) |
| | श्री राज पैरोकार | (प्रतिवादी 06) |

**दिनांक 26.05.2025**

**वादपत्र संख्या 037/2020**
**अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम**

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री बलराम सुथार व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 अधिवक्ता श्री उमेश कुमार पैरोकार राज प्रतिवादी– 06 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रति[illegible] पुत्र रामचन्द्र के नाम चक 2 पी बडी, पटवार हल्का रोहिड़ावाली के खाता सं0 35 [illegible] न0 10 की किला न0 11 ता 19 की 2.252 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि में से [illegible] पुत्र मनीराम तथा **वादी संख्या 02 महेन्द्रपाल पुत्र मनीराम** को बहिस्सा बराबर [illegible] किया जाता है। अतः डिकी जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर [illegible] व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 26 मई, 2025 को जारी की गयी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:21:44 IST
Reason: SelfAttested

**स्वाति गुप्ता**
**(आर.ए.एस.)**
**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)**
**श्रीगंगानगर**

| वादी | राशि (00.00) | प्रतिवादी | राशि (00.00) |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प वादपत्र | 00.00 | स्टाम्प वकालतनाम | 00.00 |
| स्टाम्प वकालतनाम | 00.00 | स्टाम्प आवेदनपत्र | 00.00 |
| स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य | 00.00 | वकील शुल्क | 00.00 |
| वकील शुल्क | 00.00 | व्यय साक्षीगण | 00.00 |
| व्यय साक्षीगण | 00.00 | आयुक्त शुल्क | 00.00 |
| आयुक्त शुल्क | 00.00 | व्यय इजराय | 00.00 |
| **कुल** | **00.00** | **कुल** | **00.00** |

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:21:44 IST
Reason: SelfAttested